न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—237/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/237

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
वासुदेव ओझा पुत्र स्व. श्री गोरी शंकर ओझा, जाति श्रीमाली ब्राह्मण, उम्र 71 वर्ष, निवासी सोजत सिटी हाल आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) आहोर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 142/2003 अनवान वासुदेव ओझा बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 30/9/2013

उपस्थिति :—
1. श्री अर्जुनसिह राठौड, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट उप.।
2. तहसीलदार, आहोर अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 27/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 142/2003 में निर्णय दिनांक 30.09.2013 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

27/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अदालत का आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध न्याय के विपरित कानूनन व इंसाफन गलत होने के कारण काबिल मन्सुख है।

ग्राम छांगाणी के खसरा संख्या 11 कुल रकबा 80 बीघा 13 बिस्वा रणजीत सिंह गोदपुत्र तेजसिंह की खातेदारी की भूमि थी। उक्त खातेदार के विरूद्ध सिलिंग अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तथा सिलिंग अधिनियम के तहत उक्त विवादित भूमि उक्त खातेदार से सिलिंग में अधिग्रहण कर दी थी। उक्त भूमि अधिग्रहण करने के बाद सिवाय चक दर्ज हो गई थी तथा बाद उक्त भूमि में से 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को दिनांक 12/12/1976 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 59 के तहत खसरा संख्या 11 मीन रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अपीलान्ट वासुदेव पुत्र गोरीशंकर के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी तथा रेवेन्यू रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 में अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। उक्त रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज होने के बाद मोके पर उक्त मुतनाजा आराजी पर कब्जा व काश्त अपीलान्ट का हो गया तथा अपीलान्ट का आवंटन से आज दिन तक रेकर्डेड खातेदार के रूप में लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि का लगान भी अपीलाण्ट ने ही अदा किया है। खसरा गिरदावरी में विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त दर्ज है। मातहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट ने खातेदारी के सम्बन्ध में रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी पेश कर दी थी तथा कब्जा व काश्त के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी पेश कर दी थी तथा मातहत अदालत ने उक्त रेवन्यू रेकर्ड व जमाबन्दी खसरा गिरदावरी का अपने निर्णय में कोई तार्किक विशलेषण एवं विवेचन नहीं किया है तथा उक्त दस्तावेजो के रिबटल में राजस्थान सरकार के द्वारा लेण्ड लोर्ड की हैसियत से कोई भी रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है तथा अपीलान्ट द्वारा पेश की गई जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी के सम्बन्ध में नहीं मानने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत अगर अदालत के समक्ष कोई रेवन्यू रेकर्ड पेश किया जाता है तथा उसके रिबटल में कोई रेवन्यू रेकर्ड वापिस पेश नहीं किया जाता है। तब अदालत यह उपधारणा करेगा कि जो रेवन्यू रेकर्ड अदालत के समक्ष पेश किया गया है, वो सही है। मातहत अदालत ने जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी रेवन्यू रेकर्ड के इन्द्राज को नजर अंदाज करते हुये नहीं मानने का कोई कारण उल्लेख किये बिना निर्णय पारित किया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त व अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट को 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन मौजा छांगाणी, तहसील आहोर, जिला जालोर में किया था। उक्त मुतनाजा आराजी की खातेदारी रेवन्यू रेकर्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई तथा रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में दुबारा सेटलमेन्ट हुआ। तब विवादित भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के नाम 18 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुई। परन्तु दुबारा सेटलमेन्ट करते समय सेटलमेन्ट कर्मचारीयो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलान्ट की खातेदारी 13 बीघा 15 बिस्वा दर्ज कर दी। यानि 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की खातेदारी अपीलान्ट की कम दर्ज कर दी, जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियो को पूर्व की जमाबन्दी के इन्द्राज को रिपीट करने का क्षेत्राधिकार है। जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने पूर्व के इन्द्राज को परिवर्तित कर दिया तथा अपीलान्ट की खातेदारी करीब 5 बीघा 3 बिस्वा कम कर दी। रेवन्यू बोर्ड व उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय नजीरो में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेन्ट विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने या कम अधिक करने का कतई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस कारण सेटलमेन्ट विभाग का उक्त आदेश बिना क्षेत्राधिकार का आदेश था, जो उक्त कानूनी बिन्दू के आधार पर ही निरस्त करने योग्य था। परन्तु मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दू पर घोर नहीं किया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वर्तमान में खसरा संख्या 11 रकबा 1 हेक्टयर गैर मुमकिन नाला है तथा खसरा संख्या 15 का खातेदार अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रार्थी स्वर्ण जाति का सदस्य है। जिसके कारण दोनो खसरा की आराजी प्रतिवंधित होने से अपीलार्थी रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है। यहां पर यह अंकित करना सुसंगत होगा कि अपीलार्थी को उपरोक्त जमीन 1976 में आवंटित की गई थी और उक्त जमीन स्वर्ण जाति के व्यक्ति से सिलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहित कर आवंटित की गई थी।

मातहत न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30/9/2013 में निर्णय पारित करते समय यह विवेचन किया है कि खसरा संख्या 15 की खातेदारी वर्तमान में अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज होने से कमकर, स्वर्ण जाति के सदस्य को खातेदारी के रूप में दिया जाना कानूनन प्रतिबंधित है। ये विवेचन मातहत न्यायालय द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति के सदस्य को यदि कोई जमीन किसी जोत (कृषि कार्य) के जरिये, बेचाननामे के जरिये या किसी बंटवाड़े के जरिये एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित की हुई भूमि में से कम करना और स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी करना प्रतिबंधित है। जबकि हस्तगत प्रकरण में स्वर्ण जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी ने त्रुटिवश कम करके यदि किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई है तो ये एक तकनीकी त्रुटि होने के कारण कानूनन प्रतिबंधित नहीं होकर दुरूस्ती योग्य है एवं अपीलार्थी अपनी जमीन को जो तकनीकी कारण से भू–प्रबन्ध अधिकारी व राजस्व अधिकारी की त्रुटि के कारण जो कम हुई है। पुनः प्राप्त कर कम हुई भूमि को अपनी खातेदारी में जुड़वाने का अधिकारी है। उक्त जमीन पर धारा 42 काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिबंध कानूनन लागू नहीं होता है। जोत एवं काश्त की भूमि पर अनुसूचित जाति का प्रतिबंध लगाकर स्वर्ण जाति के हक की जमीन को किसी भी दृष्टि से कम नहीं किया जा सकता है, अनुसूचित जाति वाले खातेदार की रेकर्ड में अंकित जमीन से भी अधिक जमीन पर उनका कब्जा है, जो राजस्व रिपोर्ट एवं तुलनात्मक रिपोर्ट से भली भांति स्पष्ट होता है। केवल मात्र अपीलार्थी को विधिक रूप से आवंटित भूमि से वंचित रखने

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

27/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की बदनियति से अनुसूचित एवं स्वर्ण जाति को विभेद कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो हर दृष्टि से अपास्त किये जाने योग्य है।

मातहत अदालत ने अपना आक्षेपित आदेश में अंकित किया है कि खसरा संख्या 11 में 1.00 हेक्टयर किस्म गेरमुमकिन नाला दर्ज है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 30/11/2011 के जवाब में यह अभिकथन किया गया है कि आवंटन के समय गैर मुमकिन नाला खसरा संख्या 11 में था ही नहीं। नक्शा ट्रेस के अनुसार गत खसरा संख्या 11 रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा की उत्तर दिशा में अन्य खसरा न होकर सरहद मोजा खाम्बी की सरहद लगती थी, जबकि भू–प्रवन्धन के पश्चात् प्राप्त नवीन नक्शा ट्रेस में गत खसरा संख्या 11 के नवसृजित खसरा संख्या (10,11,13,14,15,16,17व 19) की उत्तर दिशा की तरफ वर्तमान खसरा संख्या 11 रकबा 1.00 हेक्टयर किस्म गेरमुमकिन नाला वताया है, जवकि गत नक्शा ट्रेस में नाला नहीं था एवं 1.00 हेक्टयर चौड़ाई वाला नाला किसी भी स्थिति में अस्तित्व में होना एक काल्पनिक धारणा है एवं उपरोक्त अंकित नाला कभी भी प्राकृतिक सिंचित कर्म का अंग नहीं हो सकता है। केवलमात्र राजस्व अधिकारियो के त्रुटिपूर्ण कार्यशेली की वजह से गेरमुमकिन नाला अंकित किया गया है, जबकि वास्तविकता में नाला का अस्तित्व ही नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जवाब व तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट स्थिति स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है कि अपीलार्थी का रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन न्याय संगत है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र तकनीकी आधार पर एवं अविधिपूर्ण तरीके से आक्षेपित निर्णय पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है, जो विधिक दृष्टि से अपास्त किये जाने योग्य है।

किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से यदि प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक तरीके से भूमि का कटाव होकर कोई नाला में परिवर्तित हो जाता है तो उस व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से राजस्व रेकर्ड में कानूनन नाला दर्ज न होकर नाले में परिवर्तित भूमि को मूल खातेदार के रूप में खातेदारी अधिकार मानते हुये राजस्व रेकर्ड में मूल खातेदार की खातेदारी की भूमि आवंटन के समय की स्थिति ही वहाल रखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में भी यदि अपीलार्थी की भूमि में से किसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक कारण से कुछ हिस्सा नाले में यदि परिवर्तित हो गया है तो भी राजस्व रेकर्ड में उस भूमि को नाला दर्ज न कर अपीलार्थी के नाम खातेदारी ही दर्ज रहेगी। वस्तुतः यहां पर ऐसा कोई नाला अस्तित्व में ही नहीं है। जिस कारण पारित आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी आज दिन भी सम्पूर्ण आवंटन सुदा 18 वीघा 18 विस्वा पर काविज है एवं काश्त करता है। भू–प्रवन्ध की कार्यवाही के दौरान विना कब्जे व रेकर्ड की जांच किये मनमाने ढंग से जो रकवा कम किया गया एवं अपीलार्थी के खातेदारी रकवा को मनमाने ढंग से कम किया गया है, जवकि इसका कोई आधार नहीं था एवं न ही अपीलार्थी को ऐसा करने से पूर्व कोई सूचना दी गई है। मनमाने ढंग से रकवा को त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किया गया है, जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

27/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

दुरूस्त किये जाने योग्य है। परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानो के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार (भू–अभिलेख, आहोर) ने दिनांक 02/01/2009 को रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर कथन किया कि खसरा संख्या 11 रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से अपीलार्थी को आवंटित 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि का मौका जांच रिपोर्ट व आई.एल.आर. से करवाई गई, जिसके अनुसार अपीलार्थी के खातेदारी भूमि का पूर्व में रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा यानि 3.06 हेक्टयर भूमि में वर्तमान रेकर्ड में अपीलार्थी के 2.20 हेक्टयर भूमि दर्ज हुई। इस प्रकार अपीलार्थी के 0.86 हेक्टयर (3.06–2.20) भूमि कम दर्ज हुई है। मौका अनुसार अपीलार्थी के कब्जे में खसरा संख्या 10 में रकबा 2.20 हेक्टयर भूमि व खसरा संख्या 11 गैरमुमकिन वाला में 0.43 हेक्टयर भूमि पड़ोसी खसरा संख्या 15 में 0.14 हेक्टयेर भूमि यानि 2.77 हेक्टयर भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है।

यहां पर यह अंकित करना सुसंगत होगा कि पटवारी बाला व आई.एल.आर. नोसरा ने दिनांक 14/10/2008 को रिपोर्ट व तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। गत खसरा संख्या 11 रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा संख्या 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 व 19 बने है। जिनमें बिन्दु संख्या 4 में यह अंकित है कि अपीलार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 18 की सीमा से लगता खसरा संख्या 11 है। अतः उक्त खातेदार की भूमि की कमी 0.86 हेक्टयेर खसरा संख्या 11 में हो सकती है। तुलनात्मक रिपोर्ट खसरा संख्या 11, 13, 14 व 16 में कुल 1.50 हेक्टयर भूमि की वृद्धिदर होना प्रकट की गई है। ऐसी स्थिति में जिन खसरो में वृद्धि हुई है। उनमें से अपीलार्थी के रकबे की कमी पूर्ण कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है एवं अपीलार्थी इसी आधार पर रेकर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त रिपोर्टों को नजर अंदाज करते हुये केवल मात्र तकनीकी आधार पर रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज कर निर्णय पारित किया है, जो हर दृष्टि से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी को दिनांक 12/12/1976 को भूमि आवंटित की गई थी। उस समय खसरा संख्या 11 में गैरमुमकिन वाला (नाला) था ही नहीं। नक्शा ट्रेस के अनुसार गत खसरा संख्या 11 रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा के उत्तर दिशा में अन्य कोई खसरा नहीं होकर सरहद मौजा खाम्बी की सरहद लगती थी। जबकि भू प्रबन्ध के पश्चात् प्राप्त नवीन नक्शा ट्रेस में गत खसरा संख्या 11 के नवसृजित खसरा संख्या (10,11,13,14,15,16,17 व 19) के उत्तर दिशा की तरफ वर्तमान खसरा संख्या 11 रकबा 1.00 हेक्टयर किस्म गैर मुमकिन नाला बताया है। जबकि गत नक्शा ट्रेस में नाला नहीं था। केवल मात्र भूमि के कटाव की वजह से खातेदारी भूमि को नाला में दर्ज की गई है। जिसे दुरूस्त की जाना न्यायसंगत है। सेटलमेन्ट विभाग को किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त स्थिति का समर्थन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30/11/2011 के जवाब में भी अभिकथित किया गया है। उपरोक्त अंकित नाला कभी भी प्राकृतिक सिंचित कर्म का अंग नहीं हो सकता है एवं 1.00

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

हैक्टयर चौड़े का नाला किसी भी दृष्टि से हो ही नहीं सकता। केवल मात्र राजस्व अधिकारियो की त्रुटिपूर्ण कार्यशेली की वजह से गैर मुमकिलन नाला अंकित किया गया है। जबकि वास्तविकता में नाला का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है एवं तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती का आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट व जवाब को भी नजर अंदाज करते हुये बिना कानूनी रूप से विवेचन करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है, एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत अगर न्यायालय के समक्ष कोई रेवन्यू रेकर्ड पेश किया जाता है तथा उसका रिवटल में कोई रेवन्यू रेकर्ड पेश नहीं किया जाता है, तब अदालत यह उपधारणा करेगा कि जो रेवन्यू रेकर्ड अदालत समक्ष पेश किया गया है, वो सही है तथा आवंटन सुदा भूमि आवंटन नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक आवंटी के अधिकार यथावत रहेंगे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुये बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुये आक्षेपित आदेश पारित करते हुये कानूनी भूल की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30/09/2013 निरस्त किया जावे तथा रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थी के नाम 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज करने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जावे। अन्य उचित आदेश जो अपीलार्थी के पक्ष में हो, सादिर फरमाया जावे।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 142/2003 में अपीलाण्ट को 18 बीघा 18 बिस्वा का आंवटन हुआ, जिसको हैक्टर में परिवर्तित करने पर 3.03 हैक्टर बनते है । वर्तमान में प्रार्थी 2.20 हैक्टर का खातेदार रह गया है जिसके मुताबिक 0.83 हैक्टर भूमि कम दर्ज हुई है। प्रार्थी अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट खसरा नम्बर 11 के 0.43 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 15 के 0.14 हैक्टर पर भी काविज है जिसके अनुसार प्रार्थी का कब्जा 2.77 हैक्टर बनता है । प्रार्थी के कमी वेशी पूर्ति हेतु खसरा नम्बर 15 की खातेदारी वर्तमान में अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज होने से कम कर, स्वर्णजाति के सदस्य को खातेदारी के रूप में दिया जाना कानूनन प्रतिबन्धित होने से नही दी सकती है। खसरा नम्बर 11 जो की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है, "केवल मात्र भूमि के कटाव की वजह से खातेदारी भूमि को नाला में दर्ज की गई है" इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भूमि का कटाव पानी के बहाव से हुआ है, जो नाले की आकृति में होने पर ही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज किया है, पानी के बहाव यानि गैर मुमकिन नाले के बहाव में मोड, अवरोध पैदा होने की पूर्ण संभावना बन सकती है। खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नम्बर 11 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाला खाता संख्या 1 में राजकीय भूमि नदिया तथा नाले (चारागाह हेतु) दर्ज है। इस प्रकार की भूमि को रेकर्ड दुरूस्ती के जरिये कम कर प्रार्थी की खातेदारी में जोडने से पानी के निकासी प्रभाव यानि जलागम क्षैत्र में कभी भी अवरोध पैदा हो सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश परिस्थति एवं विधि के प्रावधानो के अनुसार सही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 142/2003 दिनांक 30.9.2013 बअनवान वासुदेव ओझा वनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर के निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

27/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. यह निर्णय आज दिनांक 27/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

27/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)